न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 21/2024–25 तारीख दायर :–22.08.2024 दिनांक निर्णय :–08.10.2024

पटवारी हल्का बीघोता जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

JCMS 2024/14

गोपाल पुत्र हीरालाल जाति खटीक निवासी बीघोता हाल निवासी नाथलवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम–1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बीघोता द्वारा राजस्व ग्राम बीघोता के आराजी खसरा नम्बर 1288 रकबा 0.50 हैक्ट0 किस्म राजकीय सिवायचक के भाग 0.15 हेक्ट0 पर बाजरा की फसल काश्त कर व 0.20 हेक्ट0 पर पड़त कुल किता 0.35 हेक्ट0 पर अतिकमण करने पर गोपाल पुत्र हीरालाल जाति खटीक निवासी बीघोता हाल निवासी नाथलवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा पश्चातवृति अतिकमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवृत होकर प्राप्त हुई। गैरसायल/अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर नोटिस जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी द्वारा नोटिस जवाब में कथन किया गया है कि अतिकमण छोड़ दिया गया है। किन्तु साक्ष्य सबूत हेतु अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी को बीघोता के आराजी खसरा नम्बर 1288 रकबा 0.50 हेक्ट0 के भाग 0.35 हैक्ट0 किस्म राजकीय सिवायचक पर अतिकमण कायम रखने की मंशा प्रतित होती है। भू0अ0निरीक्षक राजपुरबड़ा व पटवारी हल्का बीघोता की रिपोर्ट सम्वत 2081 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा ग्राम बीघोता की सिवायचक भूमि पर किये गये अतिकमण की पुष्टि होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है किः–

अतिक्रमी गोपाल पुत्र हीरालाल जाति खटीक निवासी बीघोता हाल निवासी नाथलवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके बीघोता के आराजी खसरा नम्बर 1288 रकबा 0.50 हेक्ट0 के भाग 0.35 हैक्ट0 राजकीय सिवायचक भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 10.85 की 50 गुणा में मु0 543.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु भू0अ0निरीक्षक राजपुरबड़ा व पटवारी हल्का बीघोता को आदेश दिये जाते है कि कब्जेराज ली गई फसल की नीलामी की कार्यवाही कर अतिक्रमी को मौके से भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 08.10.2024 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2024-25
के पृष्ठ संख्या 72 प.र.सि.-उ.543/-
राशि कायम किये गये।
(हस्ताक्षर)
त. रा. लेखाकार

(हस्ताक्षर)
(छोटेलाल मीना)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर